न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 34/2023

जी.सी.एम.एस. : 2023/199

अपीलान्ट :–

श्री बेरा बडवा समिति खिवाडा जरिये अध्यक्ष केसाराम पुत्र पेमाराम जाति चौधरी निवासी खिवाडा तहसील रानी जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. मृतक मांगीलाल पुत्र हिम्मताराम के कायम मुकाम –
   1/1 भरत कुमार पुत्र स्व. मांगीलाल निवासी खिवाडा तहसील रानी जिला पाली
2. मृतक देवराज पुत्र भीकमचन्द के कायम मुकाम –
   2/1 निर्मल पुत्र स्व. देवराज जाति पुनमिया जैन
   2/2 मन्जु पुत्री स्व. देवराज जाति पुनमिया जैन
   निवासीगण खिवाडा तहसील रानी जिला पाली
3. मृतक खीमराज पुत्र मुलतानमल माडोंत जैन के कायम मुकाम –
   3/1 मदनलाल पुत्र स्व. खीमराज
   3/2 नवरतन पुत्र स्व. खीमराज
   3/3 पिस्ता पुत्री स्व. खीमराज
   3/4 सन्तोष पुत्री स्व खीमराज
   जातिगण जैन निवासीगण खिवाडा तहसील रानी जिला पाली
4. मृतक ठाकरचंद पुत्र भीमराज के कायम मुकाम –
   4/1 रमेश कुमार पुत्र स्व ठाकरचंद
   4/2 राजेश पुत्र स्व. ठाकरचंद
   जातिगण जैन निवासीगण खिवाडा तहसील रानी जिला पाली
5. मृतक बंशीलाल पुत्र भीकाजी सोनी के कायम मुकाम –
   5/1 दिपेश पुत्र स्व. भंवरलाल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पुत्र बंशीलाल जाति सोनी निवासी खिवाडा तहसील रानी जिला पाली

6. मृतक चम्पालाल पुत्र पन्नालाल के कायम मुकाम –

   6/1 सकेत पुत्र स्व. सुरेश कुमार पुत्र चम्पालाल जाति श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी खिंवाडा तहसील रानी जिला पाली

7. पोपटलाल पुत्र जसराजजी पुरोहित निवासी खिवाडा तहसील रानी जिला पाली

8. मृतक वकतावरमल पुत्र पुनममल जाति जैन के कायम मुकाम –

   8/1 रूपचन्द पुत्र स्व वकतावरमलजी

   8/2 शांतिलाल पुत्र स्व वकतावरमलजी जाति जैन निवासी खिंवाडा तहसील रानी

9. मृतक हिराचंद पुत्र जसराज के कायम मुकाम –

   9/1 निर्मल पुत्र स्व. हिराचन्द

   9/2 ललित पुत्र स्व. हिराचन्द

   9/3 नगराज पुत्र स्व. हिराचंद जातिगण जैन निवासीगण खिवाडा तहसील रानी जिला पाली

10. मृतक फुटरमल पुत्र नथमल के कायम मुकाम –

    10/1 मुकेश पुत्र स्व. फुटरमल

    10/2 मीना पुत्री फुटरमल जातिगण जैन निवासीगण खिंवाडा तहसील रानी जिला पाली

11. मृतक घीसुलाल पुत्र गंगाराम के कायम मुकाम –

    11/1 रमेश कुमार पुत्र स्व. घीसुलाल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

11/2 कालुराम पुत्र स्व. घीसुलाल

11/3 जुगराज पुत्र स्व.घीसुलाल जातिगण जैन निवासीगण खिंवाडा तहसील रानी जिला पाली

12. कालुराम पुत्र खरताराम जाति चौधरी निवासी खिवाडा तहसील रानी जिला पाली

13. जुगराज पुत्र भीकमचंद सोलंकी जाति जैन निवासी खिवाडा तहसील रानी जिला पाली

14. मृतक हस्तीमल पुत्र गुलाबचंद के कायम मुकाम –

14/1 उत्तमचंद पुत्र स्व. हस्तीमलजी

14/2 जयंतिलाल पुत्र स्व हस्तीमल जातिगण जैन निवासीगण खिंवाडा तहसील रानी जिला पाली

15. रामलाल पुत्र श्री केसरीमल जाति जैन निवासी खिंवाडा तहसील रानी जिला पाली

16. डगरचंद पुत्र भीकमचंद जाति जैन निवासी खिवाडा तहसील रानी

17. मृतक लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र के कायम मुकाम –

17/1 महावीर पुत्र स्व लक्ष्मणजी

17/2 शारदा पुत्री स्व. लक्ष्मणजी

17/3 भागु पुत्री स्व लक्ष्मणजी

17/4 रेखा पुत्री स्व लक्ष्मण जातिगण सोनी निवासीगण खिवाडा तहसील रानी जिला पाली

18. मृतक पुखराज पुत्र धुलचंद जी के कायम मुकाम –

18/1 प्रमोद पुत्र स्व. पुखराजजी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

18/2 मोहनलाल पुत्र स्व. पुखराजजी

18/3 जवेरचंद पुत्र स्व. पुखराजजी

18/4 सुभाष पुत्र स्व. पुखराज जातिगण जैन निवासीगण खिंवाडा तहसील रानी जिला पाली

19. रतनचंद पुत्र लाभचंद पुनमिया जाति जैन निवासी खिंवाडा तहसील रानी जिला पाली

20. मृतक मोहब्बतसिंह पुत्र समरथसिंह जी के कायम मुकाम

20/1 उदयसिंह पुत्र स्व मोहबतसिंह

20/2 जसवंतसिंह पुत्र स्व. मोहबतसिंह

20/3 दाख कवंर पत्नी स्व मोहबतसिंह

20/4 छैल कवंर पुत्री स्व मोहबतसिंह

जातिगण राजपूत निवासीगण खिंवाडा तहसील रानी जिला पाली (राजस्थान)

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसील रानी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 07 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.06.2025

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम खिंवाडा हाल तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 03.01.1991 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का

अति. जिला कलेक्टर, पाली

रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम खिंवाडा तहसील रानी में खसरा संख्या 301, 481, 482 कृषि भूमि आई हुई हैं, जिसके एक मात्र मालिक पूर्व खातेदार राजेन्द्रसिंह, कुलदीपसिंह पुत्रगण प्रतापसिंह जाति राजपूत थे। उपरोक्त खसरे गावं में नदी के पास आये हुये है जिसके कुआं खोदा हुआ है, जिसमें मीठा पानी है तथा यह पानी खिंवाडा गावं के पीने के काम आता हैं, जिस पर खातेदार कुलदीपसिंह ने अपने स्वयं के हिस्से 1/2 की पुरी भूमि राजेन्द्रसिंह के दक्षिणी दिशा वाला तमाम इम्प्रुमेन्ट्स के सम्पूर्ण भूमि श्री बेरा बडवा समिति खिंवाडा को हस्तान्तरित कर दी थी और कब्जा सुपूर्द कर दिया और मौके पर समिति का ही कब्जा हैं लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जैर नामान्तरकरण स्वीकृत श्री बेरा बडवा समिति खिंवाडा के पक्ष में न करके जैर आराजी में उनके पदाधिकारीगण को खातेदार बना दिया। वर्तमान में समिति का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। पदाधिकारीगण के अनेक व्यक्तियों का देहान्त हो चुका है तथा कुछ लोग जैर आराजी का बेचान करने पर आमदा है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1991 में दर्ज किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध हस्तान्तरण–विलेख दिनांक 19.07.1990 के अनुसार विक्रेता कुलदीपसिंह ने खसरा संख्या 301 में अपने हिस्से की भूमि तथा एक अन्य पंजीबद्ध हस्तान्तरण–विलेख दिनांक 19.07.1990 के अनुसार विक्रेता राजेन्द्रसिंह, कुलदीपसिंह ने खसरा संख्या 481, 482 की खातेदारी भूमि मय तमाम इमप्रूवमेन्ट्स श्री बेरा बडवा समिति खिंवाडा को हस्तान्तरित कर दिया है एवं कब्जा भी सपूर्द कर दिया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हस्तगत प्रकरण में विवादस्त नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह पाते है कि पटवारी हल्का ने हस्तान्तरण–विलेख दिनांक 19.07.1990 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण श्री बेरा बडवा समिति के नाम से दर्ज न करके उनके पदाधिकारीगण के नाम से दर्ज कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.1991 को हस्तगत नामान्तरकरण स्वीकृत कर लिया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के जैर नामान्तरकरण की प्रति के अवलोकन से यह महसूस होता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर कोई अवसर नहीं दिया गया। प्रश्नगत आराजी का रजिस्टर्ड हस्तान्तरण–विलेख के उपरान्त उसी अनुरूप नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना था परन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया हालांकि नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है तथा नामान्तरकरण से अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, किन्तु नामान्तरकरण के द्वारा विधि विरूद्ध प्रविष्ठि को किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जो रजिस्टर्ड बेचान हुआ है, वह एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो सक्षम न्यायालय से डिस्क्रेड़िट नहीं होने से आज भी प्रभाव में है। प्रकरण में श्री बेरा बडवा समिति, खिंवाडा के स्थान पर समिति के पदाधिकारीगण का अंकन होना प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। हस्तान्तरण–विलेख दिनांक 19.07.1990 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विक्रेता की मंशा, जैर आराजी को किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में हस्तान्तरण न करके समिति के पक्ष में हस्तान्तरण की हैं जबकि अपीलाधीन आदेश समिति के पक्ष में स्वीकृत न कर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से स्वीकृत किया है, जो दस्तावेज में दर्ज विस्तार कथनों एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध हैं। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तरकण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम खिंवाडा हाल तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 03.01.1991 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार रानी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली